

राजू उर्फ़ निरपेन्द्र सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(क्रिमिनल अपील नंबर 1172/2014)

27 फरवरी 2025

[न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति श्री संजय करोल]

विचारणीय बिंदु

अभियोक्ति, एक नाबालिग गांव की लड़की, को कथित तौर पर नौकरी दिलाने के बहाने व्यपहरण किया गया, और फिर आरोपी-अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर दो महीने तक बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार किया। क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को भ.द.स की धारा 366 और 376(2)(छ) के तहत दोषी ठहराने में कोई गलती की?

शीर्ष टिप्पणियाँ

भ.द.स, 1860 – धारा366 और धारा376(2)(छ) – गांव की लड़की को अभियुक्त – अपीलकर्ता ने कथित तौर पर दो महीने तक व्यपहरण किया और सामूहिक बलात्कार किया – विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया – उपयुक्त

अभिनिर्धारित : अभियोक्ति के दन्त जाँच और स्कूल रजिस्टर की फोटोकॉपी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल के प्रिंसिपल के बयान जैसे दूसरे सबूतों से यह साबित हुआ कि अभियोक्ति की उम्र उस अपराध की शुरुआती तारीख पर सत्रह साल से कम थी। अभियोक्ति के अभिवाक, PW-13 ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट में और विचारण न्यायालय के सामने अपने बयान में अभियोक्ति की उम्र 18 साल से कम बताई थी। – एक बार जब यह साबित हो जाता है कि घटना के समय अभियोक्ति की उम्र कम थी, तो सहमति का सवाल अपने आप में निरर्थक हो जाता है और यह काम विधिक माना जाएगा। फिर भी अभियुक्तों के डर से योन सम्बन्ध करने का मतलब किसी भी तरह से अभियोक्ति की सहमति नहीं माना जा सकता है।- इसके अलावा, अपीलकर्ता का मेडिकल

रिपोर्ट पर भरोसा, जिससे पता चलता है कि अभियोक्त्रि योन सम्बन्ध की आदी थी, उनके इस दावे को और मज़बूत नहीं करेगा कि योन कृत्य सहमति से हुआ था योन सम्बन्ध की आदत होना जैसी बात योन शुद्धता की एक पुरानी सोच के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका उद्देश्य पीड़िता को नैतिक रूप से शर्मिंदा करना और बलात्कार के अपराध में सहमति, या उसकी कमी की भूमिका को कम आंकना है। फिर इसके अलावा, अभियोक्त्री के शरीर पर चोटों की कमी भी मामले के तथ्यों में एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होगी। क्योंकि अपराध दो महीने की अवधि तक जारी रहा और बलात्कार की पहली घटना के काफी बाद चिकित्सा जाँच की गई थी। विलम्ब का मुद्दा भी मामले के लिए अप्रसांगिक होगा, क्योंकि सबसे पहले, देरी का सामान्य नियम बलात्कार के मामलों पर लागू नहीं होता है और इसके अलावा, अभियोक्त्री को अपीलकर्ताओं द्वारा 2 महीने की अवधि के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। और उसके पास पहले एफ.आई.आर दर्ज करने का कोई साधन नहीं था। इसके अलावा हम यहाँ यह नोट करना अत्यंत महत्वपूर्ण पाते हैं कि मुख्यपरीक्षा में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए योन हमलों के बारे में अभियोक्त्री द्वारा दिया गया बयान लम्बे प्रति परीक्षण के बाद भी अनाच्छेपित रहा। - इस मामले में ऐसी कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं थीं जिससे सज़ा को भ.द.स में तय न्यूनतम वैध सज़ा से कम किया जा सके।

बलात्कार - सामूहिक बलात्कार - एक बार जब यह साबित हो जाता है कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, तो सहमति का सवाल अपने आप में निरर्थक हो जाता है - भ.द.स, 1860 - धारा376(2)(छ) [खंड 20]

बलात्कार - सामूहिक बलात्कार - अभियुक्तों के डर से योन सम्बन्ध करने का मतलब, किसी भी तरह से पीड़ित की सहमति नहीं है - भ.द.स, 1860 - धारा376(2)(छ) [खंड 20]

उद्धृत न्यायदृष्टांत

भरवाड़ा भोगिनभाई हीरीभाई बनाम गुजरात राज्य [1983] 3 एस सी आर 280: ए आई आर 1983 एस सी 753 - को संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860

कीवर्ड की सूची

सामूहिक बलात्कार ; वैध संरक्षकता से अपहरण; अभियोक्त्री; नाबालिग के साथ बलात्कार; एफ.आई.आर में देरी; बलात्कार के मामलों में देरी का असर; यौन सम्बन्ध का आदी होना; महिलाओं के खिलाफ अपराध

किस्से उद्धृत मामला

क्रिमिनल अपील क्षेत्राधिकार: क्रिमिनल अपील क्रमांक 1172/2014

हाई कोर्ट ऑफ़ म.प्र., जबलपुर के 15.05.2013 के निर्णय और ऑर्डर से सी.आर.ए C क्रमांक 1850/2010 क्रिमिनल अपील क्रमांक 1173 और 2575/2014 के साथ

पक्षकारों की और से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थी के अधिवक्तागण :

सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी.पी.एस. परिहार, बी. के. सतीजा, श्री पाल सिंह, अनुपम मिश्रा, जेनिस वी फ्रांसिस, हरिकुमार वी., सुश्री जेम्तिबेन एओ., नयन धाम, रोहन त्रिवेदी।

प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण:

वी.वी.वी. पट्टाभिराम, डी.ए.जी. सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, मुकेश कुमार वर्मा, आदित्य चौधरी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ

1. आरोपी अपीलकर्ताओं द्वारा आपराधिक अपील संख्या 2010 का 1850 और अन्य संबंधित मामलों में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.05.2013 के सामान्य निर्णय के विरुद्ध तत्काल अपीले प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की अपीलों को खारिज कर दिया था और, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 366 और 376(2)(छ) के तहत अपराधों के लिये दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की थी ।

2. अपीले तथ्यों के एक समान समूह और आपस में जुड़े होती हैं जिन्हें नीचे संक्षेप में बताया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियोक्त्री, जो प्रासंगिक समय पर लगभग 17

वर्ष की अविवाहित लड़की थी और बचपन से ही चौका सोनवर्षा गांव में अपनी मौसी प्रेमवती के साथ रह रही थी। इंद्रपाल (आरोपी संख्या 2, यानी ए 2) ग्राम पंचायत धोरहा का सरपंच का पति था। ए 1 शेषमणि और प्रेमवती के मकान पड़ोस में स्थित थे।

3. यह आरोप लगाया गया कि 4/5 जून, 2005, के आसपास ए 1 शेषमणि ने अभियोक्त्री को जो तब तक दसवी कक्षा तक पढ़ चुकी थी निकट भविष्य में उसकी नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया। लगभग 25 दिन बाद ए 2 इंद्रपाल तथा सुरेन्द्र (आरोपी संख्या 5 यानी ए 5) और दो अज्ञात व्यक्तियों जो कि सुरेन्द्र ए 5 के साले के रूप में पेश किये गये लोग अभियोक्त्री के घर आए और उसे बताया गया कि ए 5 सुरेन्द्र सीधी निवासी है तथा भोपाल में पदस्थ है अभियोक्त्री को नौकरी दिलाने में सक्षम होगा।

4. तत्पश्चात् 06.07.2005 को दोपहर लगभग बारह बजे ए 1 शेषमणि प्रेमवती के घर गये तथा अभियोक्त्री से रीवा चलने को कहा, जहाँ उसे ए 2 इंद्रपाल तथा सुरेन्द्र ने रोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य बुलाया है। अभियोक्त्री ने प्रेमवती से अनुमति लेनी चाही तो ए 1 शेषमणि ने प्रेमवती को सूचित न करने पर जोर दिया, क्योंकि उस समय प्रेमवती सो रही थी। इस प्रकार ए 1 शेषमणि अभियोक्त्री को रीवा एल. पी. जी गोदाम के पास स्थित एक गोदाम में ले गया जहाँ ए 2 इंद्रपाल तथा राजू (आरोपी संख्या 3 अर्थात् ए 3) पहले से ही मौजूद थे। कुछ देर बाद सुरेन्द्र भी वहाँ आ गया और तीनों आरोपी व्यक्तियों यानी ए 2, ए 3 और ए 5 ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया। उसके बाद उसे 10.07.2005 तक उस घर में रहने के लिये मजबूर किया जहाँ अपीलकर्ताओं के हाथों उसका साथ बार बार सामूहिक बलात्कार किया।

5. इसके बाद 10.07.2005 को अभियोक्त्री को ए 2 इंद्रपाल एवं ए 3 राजू सीधी ले गये, जहाँ सुरेश (आरोपी संख्या चार यानी ए 4) को फोन किया गया, जिसके बाद वह भी वहाँ आ गया और अभियोक्त्री को प्रिंस होटल ले गया, जहाँ उसके साथ फिर से बलात्कार किया गया। इसके बाद, अभियोक्त्री को कल्ली उर्फ कलावतो के घर ले जाया गया, जहाँ उसे 14-07-2005 तक रहने के लिये मजबूर किया गया।

6. फिर 15-07-2005 को अभियोक्त्री को रीवा से ए 2 इंद्रपाल के कब्जे वाले घर में वापिस लाया गया, जहाँ उसने और ए 3 राजू ने फिर से उसके साथ समूहिक बलात्कार किया। उसी दिन उसे मल्हार ले गए जहाँ से वे ट्रेन में सवार हुए। उसी ट्रेन ने महिला भी थी जो ए 2 इंद्रपाल और ए 3 राजू को पहले से जानती थी, और अभियोक्त्री को भोपाल में ए 5 सुरेंद्र के घर ले जाने के लिए उस महिला को सौंप दिया गया। लेकिन, वह महिला अभियोक्त्री को दिल्ली के पास एक अनजान जगह पर ले गई, जहाँ उसे 10.09.2005 तक उस महिला के साथ एक घर में रहने के लिए मजबूर किया गया। इस बीच, ए 2 इंद्रपाल और ए 3 राजू अक्सर उस घर जाते थे और अभियोक्त्री के साथ बार-बार बलात्कार करते थे।

7. 08.09.2005 को ही ए 2 इंद्रपाल ने अभियोक्त्री को एक रिपोर्ट के बारे में बताया जिसमें उसके अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद महिला ने अभियोक्त्री को इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन में चढ़ने में मदद करने के लिए एक लड़के को भेजा। अभियोक्त्री 11.09.2005 को इलाहाबाद पहुँची और वहाँ से वह सीधे लौर पुलिस स्टेशन गई, जहाँ प्रेमवती के द्वारा दिए आवेदन, पर पहले से ही गुमशुदगी का मामला दर्ज किया जा चुका था। इसके अलावा, अभियोक्त्री के बयान के आधार पर, रीवा ज़िले के लौर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अफसर ने आरोपी अपीलकर्ता और अनजान महिला समेत दूसरे लोगों के खिलाफ भ.द. स की धारा 363, 366 और 376(2)(छ) के तहत मामला दर्ज किया।

8. इसके बाद, अभियोक्त्री को जी.म.सी, रीवा भेजा गया, जहाँ डॉ. राजश्री बजाज ने उसकी जाँच की, जिन्होंने अभियोक्त्री के वजाइनल स्मीयर से दो स्लाइड तैयार की और पाया कि उसे योन सम्बन्ध की आदत थी। अभियोक्त्री की जाँच दन्त शैल्यचिकित्सक, डॉ. आर.जे. शर्मा ने भी की, जिन्होंने निकले हुए दांतों की संख्या और जगह देखकर, अभियोक्त्री की उम्र 17 साल से कम बताई।

9. सही जाँच और चार्जशीट फाइल करने के बाद, जिसमें सभी आरोपी-अपीलकर्ता फरार दिखाए गए, केस को विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

10. विचरण न्यायालय ने गवाहों की ठीक से जांच करने और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद यह माना कि आरोपी इंद्रपाल, सुरेश और सुरेंद्र ने 18 साल से कम उम्र की लड़की को उसकी मौसी प्रेमवती की वैध संरक्षण से अगवा करके उसके साथ अवैध संबंध बनाए और आरोपी इंद्रपाल, सुरेश, सुरेंद्र और राजू ने 06.07.2005 से 12.09.2005 के बीच उसकी इच्छा के खिलाफ कई बार लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों को निम्नलिखित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें निम्नानुसार तरह सजा दी गई:

अभियुक्त	दोषसिद्धि	दण्ड
ए 1 शेषमणि	366 भा.द.स	दस वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/- रुपये का जुर्माना; चूक होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास
ए 2 इंद्रपाल	363 भा.द.स	सात वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000/-रुपये का जुर्माना, चूक होने पर छ माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
	366 भा.द.स	दस वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/- रुपये का जुर्माना; चूक होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास
	376(2)(छ) भा.द.स	दस वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/- रुपये का जुर्माना; चूक होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास
ए 3 राजू	376(2)(छ) भा.द.स	दस वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/- रुपये का जुर्माना; चूक होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास
ए 4 सुरेश	363 भा.द.स	सात वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000/-रुपये का जुर्माना, चूक होने पर छ माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
	366 भा.द.स	दस वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/- रुपये का जुर्माना; चूक होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास
	376(2)(छ) भा.द.स	दस वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/- रुपये का जुर्माना; चूक होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर

		कारावास
ए 5 सुरेन्द्र	363 भा.द.स	सात वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000/-रुपये का जुर्माना, चूक होने पर छ माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
	366 भा.द.स	दस वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/- रुपये का जुर्माना; चूक होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास
	376(2)(छ) भा.द.स	दस वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000/- रुपये का जुर्माना; चूक होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास

अभियुक्त सुरेश, इन्द्रपाल और सुरेंद्र को दिये गए दंडादेश साथ साथ भोगे जाएंगे ।

11. सभी पांचों आरोपियों ने दोषसिद्धि के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने आरोपियों के बचाव के आधार और अभियोजन के केस को समर्थन करने वाली तत्वों की फिर से जांच की और माना कि भ.द.स की धारा 363, 366 और 376(2)(छ) के तहत दंडनीय अपराधों के तत्व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुए। हालांकि, आरोप के आभाव में ए 3 राजू को अपहरण के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सका। इसके अलावा, ए 2 इन्द्रपाल, ए 4 सुरेश और ए 5 सुरेंद्र को धारा 363 और 366 के तहत सजा वाले अपराधों के लिए दी गई दोहरी सजा को भ.द.स की धारा 71 का उल्लंघन माना गया और इसलिए, ए 2 इन्द्रपाल, ए 4 सुरेश और ए 5 सुरेंद्र को भ.द.स की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दी गई अलग-अलग सजाओं को खारिज कर दिया गया। यह भी देखा गया कि ए 1 शेषमणि पर भ.द.स की धारा 376(2)(छ) के तहत अपराध के लिए आरोप लगाया जाना चाहिए था और उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए था। अतः, अपील खारिज कर दी गई और भ.द.स की धारा 366 और 376(2)(छ) के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि और उसके बाद के दण्ड की पुष्टि की गयी ।

12. आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, ए 5 सुरेन्द्र को छोड़कर सभी आरोपी व्यक्तियों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में अनुमति देते हुए, दिनांक 09.05.2014 के

अदिश के अनुसार, अपीलकर्ताओं को सजा का निलंबन प्रदान किया गया, बशर्ते कि वे संबंधित विचारण न्यायालय कि संतुष्टि के लिए 25,000/- रुपये की राशि के जमानत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत किए। परिणामस्वरूप, चूंकि अपीलकर्ता शेषमणि की मृत्यु वर्ष 2016 में हो चुकी थी, इसलिए उनकी अपील को निरस्त माना गया, जैसा कि 28.01.2005 के अदिश में उल्लेख किया गया है।

13. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों का अवलोकन किया है।

14. अपीलकर्ताओं के वकील का मुख्य तर्क इस तर्क पर टिका था कि अभियोक्त्री ने इस कृत्य के लिए अपनी सहमति दी थी। अपीलकर्ताओं ने इस तथ्य से ऐसी सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया कि वह अपने अभिभावक को सूचित किए बिना अपीलकर्ताओं के साथ स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर चली गयी थी और अभियोक्त्री 2 महीने की अवधि के लिए अपीलकर्ताओं के साथ रही और इस अवधि के दौरान, वह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके सीधी, रीवा, इलाहाबाद और दिल्ली जैसे कई स्थानों पर गई, जहाँ वह असानी से मदद के लिए काल या अलार्म बजा सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोक्त्री सहमति पक्षकार थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि मेडिकल स्थिति से पता चलता है कि अभियोक्त्री यौन संबंध बनाने की आदि थी और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, जिससे यह तर्क पुष्ट होता है कि कोई जबरन यौन संबंध नहीं बनाया गया था, अभियोक्त्री ने पूरे कृत्य के लिए सहमति दी थी और बलात्कार जैसा कोई अपराध नहीं था जैसा कि आरोप लगाया गया है।

15. अपीलकर्ताओं द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि एफ.आई.आर दर्ज करने में लगभग २ महीने की देरी हुई और ऐसी देरी पूर्ण रूप से अनुचित और अस्पष्ट थी। अंत में, अभियोक्त्री की उम्र के बारे में भी चुनौती दी गई, जैसा कि दोनों निचली अदालतों के समक्ष भी किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया कि अभियोक्त्री घटना के समय वयस्क हो चुकी थी और इसलिए, उसके सहमत वयस्क पक्षकार होने के कारण, अपहरण या बलात्कार का कोई अपराध नहीं बनता है।

16. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री कि गवाही विश्वसनीय है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, जो अदालत को पूर्ण विश्वास दिलाता है। चूंकि यह सुस्थापित कानून है कि बलात्कार के अपराध के लिए दोषसिद्धि अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर सुरक्षित रूप से दर्ज की जा सकती है, बशर्त कि उसके साक्ष्य में कोई बुनियादी दुर्बलता और संभावना कारक ना हो और विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री की गवाही को बिना किसी दुर्बलता के विश्वसनीय पाया हो, इसलिए अपील को केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

17. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि एफ.आई.आर दर्ज करने में देरी अभियोक्त्री को 2 महीने की अवधि के लिए अभियुक्तों द्वारा बंदी, अपहरण किए जाने के कारण हुई थी। सहमति के मुद्दे के संबंध में, यह प्रस्तुत किया भले ही तर्क में, यह माना जाता है कि अभियोक्त्री अपनी इच्छा से ए1 शेषमर्माण के साथ आई थी, यह देखते हुए कि अधिनस्त न्यायालय ने निर्णायक रूप से अभियोक्त्री को 17 वर्ष से कम आयु का पाया है और इसलिए, अभियुक्त व्यक्ति आई. पी.सी. की धारा 366 और 376 (२) (छ) के तहत अपराधों के लिए उत्तरदायी होंगे।

18. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और रिकार्ड पर मौजूद गवाहों के बयानों और अधिनस्त न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं ने कोई अच्छा आधार नहीं बनाया है जिसके आधार पर दोनों अधिनस्त न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके।

19. सबसे पहले, विचारणीय प्रासंगिक बिन्दु अभियोक्त्रों की आयु है। अभियोक्त्री की दंत जींच की गई और दंत चिकित्सक (PW-8) ने अभियोक्त्री की आयु 17 वर्ष से कम बताई थी। यह साबित करने के लिए और सबूत पेश किए गए कि अभियोक्त्री प्रासंगिक समय पर नाबालिक थी, जैसे स्कूल रीजिस्टर की फोटो कापी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसकी पुष्टि स्कूल के प्रिंसिपल के बयान से हुई। ऐसे सभी दस्तावेजों में अभियोक्त्री की जन्मतिथि 10.08.1988 और घटना की तिथि 06.07.2005 दिखाई गई थी, इसलिए अभियोक्त्री की आयु निरंतर अपराध के प्रारंभिक तिथि पर 17 वर्ष से कम थी। अभियोक्त्री की आयु के निष्कर्ष को और अधिक पुष्ट करने के लिए, यह ध्यान

दिया जाना चाहिए कि अभियोक्त्री की संरक्षक, प्रेमवती (PW-13) ने भी गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट में तथा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम बताई थी।

२०. जब घटना के समय अभियोक्त्री की आयु नाबालिक साबित हो जाती है, तो सहमति का प्रश्न अपने आप में असंगत हो जाता है तथा फिर भी यह कृत्य वैधानिक बलात्कार के रूप में योग्य होगा। हालांकि, यदि सहमति के तर्क पर विचार किया जाए तो हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आरोपी अपीलकर्ता पुरुष थे, जिन्होंने अभियोक्त्री को, जो कि कम उम्र की थी, उसके जीवन को खतरे में डालकर लम्बे समय तक बंधक बनाये रखा था। अभियोक्त्री द्वारा लगातार भय के तहत निभायी गई भूमिका को खारिज करना अतार्किक होगा, क्योंकि २ महीने की अवधि में आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसका बलात्कार किया जा रहा था। आरोपी व्यक्तियों के डर के तहत यौन संबंध बनाने को अभियोक्त्री की ओर से सहमति के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

21. इसके अलावा, अपीलकर्ताओं का मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा, जिससे यह सुझाव दिया कि अभियोक्त्री यौन संबंध की आदी थी, उनके इस दावे को और पुष्ट नहीं करेगा कि यौन क्रिया सहमति से हुआ था। यह केवल इस कारण से क्योंकि “यौन संबंध की आदी होना” जैसी बात यौन शुद्धता की एक पुरानी धारणा के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका उद्देश्य पीड़िता को नैतिक रूप से शर्मिंदा करना और बलात्कार के अपराध में सहमति, या उसकी कमी की भूमिका को कम आंकना है। फिर इसके अलावा, अभियोक्त्री के शरीर पर चोटों की कमी भी मामले के तथ्यों में एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होगी। क्योंकि अपराध दो महीने की अवधि तक जारी रहा और बलात्कार की पहली घटना के काफी बाद चिकित्सा जाँच की गई थी।

२२. विलम्ब का मुद्दा भी मामले के लिए अप्रसांगिक होगा, क्योंकि सबसे पहले, देरी का सामान्य नियम बलात्कार के मामलों पर लागू नहीं होता है और इसके अलावा, अभियोक्त्री को अपीलकर्ताओं द्वारा 2 महीने की अवधि के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। और उसके पास पहले एफ.आई.आर दर्ज करने का कोई साधन नहीं था।

23. इसके अलावा हम यहाँ यह नोट करना अत्यंत महत्वपूर्ण पाते हैं कि मुख्यपररीक्षा में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए योन हमलों के बारे में अभियोक्त्री द्वारा दिया गया बयान लम्बे प्रति परीक्षण के बाद भी अनाच्छेपित रहा। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य में उसके केस अयरी के कथन के संबंध में तथाकथित विसंगतियों में से कोई भी अभियोजन मामले की सत्यता को हिला नहीं सका।

24. अंत में, अपीलकर्ताओं के वकील ने पहले से ही भुगती गई अवधि को देखते हुए दी गई सजा को काम करने में तर्क दिया था कि अभियुक्त-अपीलकर्ता अब काफी समय से जमानत पर है। हालांकि, हमें इस मामले में कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली जिससे सजा को भ.द.स में निर्धारित न्यूनतम वैधानिक सजा से कम किया जा सके। हम अभियोक्त्रि द्वारा झेले गए दुख और शोषण को किसी भी तरह से कम नहीं आकना चाहते हैं, जो एक गांव की लड़की है जिसे नौकरी दिखाने के बहाने उन लोगो ने अपहरण कर लिया जिन पर उसने भरोसा किया था और दो महीने तक की लम्बी अवधि तक सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के अधीन रखा गया। न्याय का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब अभियुक्त-अपीलकर्ता अपनी सजा की पूरी अवधि भुगते और इस मामले के तथ्यों में और कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।

25. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है और आक्षेपित अदिश को बरकरार रखा जाता है। अभियुक्त-अपीलार्थी, जो वर्तमान में जमानत पर है, को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा की शेष अवधि पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया जाता है।

२ 6. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

मामले का परिणाम : अपील खारिज

* लेखक

रिट अपील संख्या : 1172/2014

(उपासना गज्जाम द्वारा अनुवादित)

